

प्रेषक,

निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास,  
पशुपालन विभाग, उ०प्र०,  
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,  
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 453 / चारा / ॥एफ (417)/2019-20

दिनांक 09-10-2019

विषय:-

रबी वर्ष-2019 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय के आवंटन पत्र संख्या-1313/बजट/29(5)/ अनु०-11/01 /2019-20 दिनांक-25.09.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनु० सं०-11 के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा संचालित "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" (Additional Fodder Development Programme-AFDP) के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन पत्र में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित धनराशि का उपयोग वर्तमान रबी चारा फसल हेतु निम्न दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जाए:-

- 1- योजना के सफल संचालन हेतु कार्यालय पत्र सं०-426/चारा/॥एफ (417)/2019-20 दिनांक 29.08.2019 द्वारा लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 2- जनपदवार चारा उत्पादन हेतु निर्धारित क्षेत्रफल, बीज/उर्वरक की मात्रा एवं लाभार्थियों की संख्या परिशिष्ट-एक एवं दो में दर्शायी गयी है।
- 3- परिशिष्ट-दो में अंकित क्षेत्रफल, बीज/उर्वरक एवं लाभार्थियों की संख्या खरीफ-2019 में संचालित अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम में व्यय उपरान्त अवशेष धनराशि के उपयोग हेतु है। परिशिष्ट-दो में अंकित लाभार्थियों की सूची का प्रेषण पृथक से तैयार कर प्रेषित किया जाये।
- 4- परिशिष्ट-एक एवं दो में जनपदवार लाभार्थियों की संख्या प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर के आधार पर दर्शायी गई है। अतः यदि जनपद में ऐसे भी लाभार्थियों का चयन किया गया हो, जो 0.1 हे० से 0.5 हे० तक चारा उत्पादन करने में सक्षम हो तो जनपद में लाभार्थियों की संख्या परिशिष्ट-एक एवं दो में दर्शाये गये लाभार्थियों की संख्या से कम हो जायेगी, लेकिन जनपद में चारा उत्पादन हेतु आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं होगी अर्थात् जनपद में चारा उत्पादन हेतु परिशिष्ट-एक एवं दो में दर्शाया गया क्षेत्रफल यथावत् रहेगा।
- 5- 43-सामग्री एवं सम्पू्ति मद में आवंटित धनराशि का उपयोग चारा बीज एवं उर्वरकों के क्रय पर किया जायेगा। चारा बीज की आपूर्ति राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों से की जा रही है तथा उर्वरकों (नीम कोटेड यूरिया एवं डी०ए०पी०) का क्रय कृ०को/इ०को से सुविधानुसार कर, पशुपालकों को एक साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रति लाभार्थी को 0.1 हे० क्षेत्रफल में बुवाई हेतु 10 किग्रा० प्रमाणित जई चारा बीज, 07 किग्रा० डी०ए०पी० एवं 12.5 किग्रा० यूरिया उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार 0.1 हे० से अधिक 0.5 हे० क्षेत्रफल तक बुवाई हेतु उक्त इकाई मानक के गुणक में चारा बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा। डी०ए०पी० की सम्पूर्ण एवं यूरिया की आधी मात्रा बुवाई के समय बेराल ड्रेसिंग के रूप में तथा यूरिया की शेष आधी मात्रा खड़ी चारा फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दीजायेगी। चारा उत्पादन हेतु उक्त निवेशों के अतिरिक्त खेत की तैयारी, बुवाई, सिंचाई एवं कटाई आदि पर होने वाला व्यय स्वयं लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा।
- 6- योजनान्तर्गत विभागीय प्रक्षेत्रों से बीज आपूर्ति हेतु कार्यालय पत्र सं०-450/चारा/॥एफ (417)/2019-20 दिनांक-05.10.2019 द्वारा प्रमाणित जई चारा बीज का आवंटन किया गया है। आपूर्ति किये गये चारा बीज का भुगतान सम्बन्धित प्रक्षेत्र प्रबन्धक/प्रक्षेत्र अधीक्षक को बैंक ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से तत्काल किया जाए। चालान के माध्यम से भुगतान की दशा में चालान पर "आर०के०वी०वाई० के अन्तर्गत भुगतान" अवश्य अंकित किया जाए।

- 7- योजनान्तर्गत प्रदर्शन स्थल पर साधारण कार्ड-बोर्ड पर लाभार्थी का पूर्ण विवरण अंकित कर लाभार्थी के साथ चारा फसल में प्रदर्शित करते हुए फोटोग्राफी भी करायी जाय। फोटोग्राफी कराने के बाद उसकी एक प्रति पशुपालन निदेशालय के चारा अनुभाग को उपलब्ध करायी जाए। 42-अन्य व्यय में आवंटित धनराशि से उक्त व्यय किया जायेगा।
- 8- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए कृमिको/इफको से उर्वरक कय करने हेतु जनपद के उप कृषि निदेशक(प्रसार)/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (सहकारिता) से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उर्वरकों के कय हेतु सम्बन्धित संस्था/उपक्रम द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अथवा मांगे जाने पर चयनित लाभार्थियों की सूची मय आधार पहचान पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय।
- 9- सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आवंटित चारा बीज का पूर्ण विवरण संलग्न प्रारूप-1 पर अपने चिकित्सालय पर रखा जायेगा।
- 10- सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारियों द्वारा योजना का सफल क्रियान्वयन कराया जायेगा। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा समय-2 पर, लाभार्थियों द्वारा बोयी गयी चारा फसलों का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण आख्या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी भी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।
- 11- योजना के कार्यों की पूर्णता पर प्रारूप-1, प्रारूप-2 एवं प्रारूप-3 पर लाभार्थियों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र, योजना का Impact assessment (फीड बैक) एवं सफलता की कहानियां चारा अनुभाग, पशुपालन निदेशालय को हार्ड एवं साफ्ट कापी में ई-मेल [fdoup522@gmail.com](mailto:fdoup522@gmail.com) पर उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।
- 12- योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग वर्तमान रबी फसल-2019 में ही किया जाना है। योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा। अवशेष धनराशि के समर्पण की सूचना एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.12.2019 तक प्रत्येक दशा में ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 13- आवंटित धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। किसी अन्य मद में न तो इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि में से व्यय न होने वाली धनराशि का मानक मदवार समर्पण समय से निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 14- योजना को निर्वाध गति एवं सफल संचालन हेतु निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन किया जायेगा।
- 15- योजनान्तर्गत कृषि निवेशों का वितरण एवं फील्ड डे, यथासम्भव स्थानीय जन-प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान/ब्लाक प्रमुख/मा0 विधायक एवं सांसद आदि) की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ करायी जाय, जिसकी फोटोग्राफी भी अनिवार्य रूप से करायी जाये।
- 16- विस्तृत कार्य योजना एवं गाईड-लाइन विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
  
 (डा० यू०पी० सिंह)  
 निदेशक,  
 प्रशासन एवं विकास।

- पत्रांक: /चारा/।।।एफ (417)/2019-20 तददिनांक।  
 प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख सचिव, पशुधन, उ०प्र०शासन।
  - 2- कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
  - 3- वित्त नियन्त्रक, मुख्यालय।
  - 4- सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग।

- 5- राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8-गोखले मार्ग, (ईमेल-smm\_up@iffco.in) लखनऊ / मुख्य राज्य प्रबंधक, कृमको, टीसी-28वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर (ईमेल-kribhcosmoup@yahoo.com), लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि चयनित जनपदों के मुख्य पशु-चिकित्साधिकारियों द्वारा परिशिष्ट-1 एवं 2 के अनुसार निर्धारित मात्रा में उर्वरक कय हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध करायी गयी दरों पर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपद के प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6- नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, मुख्यालय।
- 7- सम्बन्धित मण्डलीय नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि विभाग।
- 8- इफको/कृमको प्रभारी, सम्बन्धित जनपद।
- 9- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डा० यू०पी०सिंह)  
निदेशक,  
प्रशासन एवं विकास।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत संचालित अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम  
(नवीन परियोजना) की जनपदवार भौतिक लक्ष्यों का विवरण (रबी वर्ष 2019-20)

| क्र० सं० | जनपद का नाम  | निर्धारित क्षेत्रफल (हे० में) | लाभार्थियों की अधिकतम संख्या | जई बीज की मात्रा (कु० में) | यूरिया की मात्रा (कु० में) | डी०ए०पी० की मात्रा (कु० में) |
|----------|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1        | 2            | 3                             | 4                            | 5                          | 6                          | 7                            |
| 1        | मेरठ         | 110.0                         | 1100                         | 110.00                     | 137.50                     | 77.00                        |
| 2        | बागपत        | 95.0                          | 950                          | 95.00                      | 118.75                     | 66.50                        |
| 3        | बुलन्दशहर    | 95.0                          | 950                          | 95.00                      | 118.75                     | 66.50                        |
| 4        | गाजियाबाद    | 50.0                          | 500                          | 50.00                      | 62.50                      | 35.00                        |
| 5        | गौतमबुद्धनगर | 40.0                          | 400                          | 40.00                      | 50.00                      | 28.00                        |
| 6        | हापुड़       | 50.0                          | 500                          | 50.00                      | 62.50                      | 35.00                        |
| 7        | मुजफ्फरनगर   | 75.0                          | 750                          | 75.00                      | 93.75                      | 52.50                        |
| 8        | सहारनपुर     | 110.0                         | 1100                         | 110.00                     | 137.50                     | 77.00                        |
| 9        | शामली        | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 10       | मुरादाबाद    | 80.0                          | 800                          | 80.00                      | 100.00                     | 56.00                        |
| 11       | अमरोहा       | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 12       | रामपुर       | 75.0                          | 750                          | 75.00                      | 93.75                      | 52.50                        |
| 13       | बिजनौर       | 75.0                          | 750                          | 75.00                      | 93.75                      | 52.50                        |
| 14       | सम्भल        | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 15       | आगरा         | 110.0                         | 1100                         | 110.00                     | 137.50                     | 77.00                        |
| 16       | फिरोजाबाद    | 50.0                          | 500                          | 50.00                      | 62.50                      | 35.00                        |
| 17       | मथुरा        | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 18       | मैनपुरी      | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 19       | अलीगढ़       | 75.0                          | 750                          | 75.00                      | 93.75                      | 52.50                        |
| 20       | हाथरस        | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 21       | एटा          | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 22       | कासगंज       | 50.0                          | 500                          | 50.00                      | 62.50                      | 35.00                        |
| 23       | बरेली        | 75.0                          | 750                          | 75.00                      | 93.75                      | 52.50                        |
| 24       | बदायूँ       | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 25       | शाहजहांपुर   | 75.0                          | 750                          | 75.00                      | 93.75                      | 52.50                        |
| 26       | पीलीभीत      | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 27       | इटवा         | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 28       | औरैया        | 50.0                          | 500                          | 50.00                      | 62.50                      | 35.00                        |
| 29       | फर्रुखाबाद   | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 30       | कन्नौज       | 50.0                          | 500                          | 50.00                      | 62.50                      | 35.00                        |
| 31       | कानपुर नगर   | 40.0                          | 400                          | 40.00                      | 50.00                      | 28.00                        |
| 32       | कानपुर देहात | 50.0                          | 500                          | 50.00                      | 62.50                      | 35.00                        |
| 33       | प्रयागराज    | 60.0                          | 600                          | 60.00                      | 75.00                      | 42.00                        |
| 34       | कौशांबी      | 40.0                          | 400                          | 40.00                      | 50.00                      | 28.00                        |
| 35       | फतेहपुर      | 50.0                          | 500                          | 50.00                      | 62.50                      | 35.00                        |
| 36       | प्रतापगढ़    | 45.0                          | 450                          | 45.00                      | 56.25                      | 31.50                        |
| 37       | झोंसी        | 15.0                          | 150                          | 15.00                      | 18.75                      | 10.50                        |
| 38       | जालौन        | 20.0                          | 200                          | 20.00                      | 25.00                      | 14.00                        |
| 39       | ललितपुर      | 15.0                          | 150                          | 15.00                      | 18.75                      | 10.50                        |
| 40       | हमीरपुर      | 20.0                          | 200                          | 20.00                      | 25.00                      | 14.00                        |

|    |              |        |       |         |         |         |
|----|--------------|--------|-------|---------|---------|---------|
| 41 | महोबा        | 15.0   | 150   | 15.00   | 18.75   | 10.50   |
| 42 | बोंदा        | 20.0   | 200   | 20.00   | 25.00   | 14.00   |
| 43 | चित्रकूट     | 15.0   | 150   | 15.00   | 18.75   | 10.50   |
| 44 | गोरखपुर      | 60.0   | 600   | 60.00   | 75.00   | 42.00   |
| 45 | महाराजगंज    | 40.0   | 400   | 40.00   | 50.00   | 28.00   |
| 46 | देवरिया      | 50.0   | 500   | 50.00   | 62.50   | 35.00   |
| 47 | कुशीनगर      | 40.0   | 400   | 40.00   | 50.00   | 28.00   |
| 48 | बस्ती        | 40.0   | 400   | 40.00   | 50.00   | 28.00   |
| 49 | सन्तकबीरनगर  | 30.0   | 300   | 30.00   | 37.50   | 21.00   |
| 50 | सिद्धार्थनगर | 30.0   | 300   | 30.00   | 37.50   | 21.00   |
| 51 | आजमगढ़       | 55.0   | 550   | 55.00   | 68.75   | 38.50   |
| 52 | मऊ           | 35.0   | 350   | 35.00   | 43.75   | 24.50   |
| 53 | बलिया        | 35.0   | 350   | 35.00   | 43.75   | 24.50   |
| 54 | वाराणसी      | 40.0   | 400   | 40.00   | 50.00   | 28.00   |
| 55 | चन्दौली      | 30.0   | 300   | 30.00   | 37.50   | 21.00   |
| 56 | जौनपुर       | 55.0   | 550   | 55.00   | 68.75   | 38.50   |
| 57 | गाजीपुर      | 55.0   | 550   | 55.00   | 68.75   | 38.50   |
| 58 | मिर्जापुर    | 25.0   | 250   | 25.00   | 31.25   | 17.50   |
| 59 | भदोही        | 25.0   | 250   | 25.00   | 31.25   | 17.50   |
| 60 | सोनभद्र      | 20.0   | 200   | 20.00   | 25.00   | 14.00   |
| 61 | लखनऊ         | 25.0   | 250   | 25.00   | 31.25   | 17.50   |
| 62 | उन्नाव       | 40.0   | 400   | 40.00   | 50.00   | 28.00   |
| 63 | रायबरेली     | 55.0   | 550   | 55.00   | 68.75   | 38.50   |
| 64 | सीतापुर      | 40.0   | 400   | 40.00   | 50.00   | 28.00   |
| 65 | हरदोई        | 40.0   | 400   | 40.00   | 50.00   | 28.00   |
| 66 | लखीमपुर      | 55.0   | 550   | 55.00   | 68.75   | 38.50   |
| 67 | अयोध्या      | 55.0   | 550   | 55.00   | 68.75   | 38.50   |
| 68 | अम्बेडकरनगर  | 50.0   | 500   | 50.00   | 62.50   | 35.00   |
| 69 | सुल्तानपुर   | 45.0   | 450   | 45.00   | 56.25   | 31.50   |
| 70 | वाराणंकी     | 50.0   | 500   | 50.00   | 62.50   | 35.00   |
| 71 | अमेठी        | 35.0   | 350   | 35.00   | 43.75   | 24.50   |
| 72 | बहराइच       | 45.0   | 450   | 45.00   | 56.25   | 31.50   |
| 73 | श्रावस्ती    | 25.0   | 250   | 25.00   | 31.25   | 17.50   |
| 74 | गोण्डा       | 45.0   | 450   | 45.00   | 56.25   | 31.50   |
| 75 | बलरामपुर     | 25.0   | 250   | 25.00   | 31.25   | 17.50   |
|    | योग          | 3750.0 | 37500 | 3750.00 | 4687.50 | 2625.00 |

| नोट | सामग्री का नाम | प्रयोग दर प्रति इकाई (0.1 हे०)                            |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|
|     | जई चारा बीज    | 10 किग्रा०                                                |
|     | यूरिया         | 12.5 किग्रा० (आधी मात्रा वेसल ड्रेसिंग, आधी टॉप ड्रेसिंग) |
|     | डी०पी०         | 07 किग्रा० वेसल ड्रेसिंग                                  |

निदेशक

प्रशासन एवं विकास

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत संचालित अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम  
(पुर्नवैधीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि से) की जनपदवार भौतिक लक्ष्यों का विवरण  
(रबी वर्ष 2019-20)

| क्र०सं० | जनपद का नाम  | निर्धारित क्षेत्रफल<br>(हे० में) | लामार्थियों की<br>अधिकतम संख्या | जई बीज की<br>मात्रा (कु० में) | डी०ए०पी० की<br>मात्रा (कु० में) |
|---------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                | 4                               | 5                             | 7                               |
| 1       | आगरा         | 71.0                             | 710                             | 71.00                         | 49.70                           |
| 2       | रामपुर       | 30.0                             | 300                             | 30.00                         | 21.00                           |
| 3       | झांसी        | 3.5                              | 35                              | 3.50                          | 2.45                            |
| 4       | जालौन        | 8.0                              | 80                              | 8.00                          | 5.60                            |
| 5       | ललितपुर      | 3.5                              | 35                              | 3.50                          | 2.45                            |
| 6       | हमीरपुर      | 32.0                             | 320                             | 32.00                         | 22.40                           |
| 7       | महोबा        | 3.5                              | 35                              | 3.50                          | 2.45                            |
| 8       | औरैया        | 10.5                             | 105                             | 10.50                         | 7.35                            |
| 9       | कानपुर नगर   | 27.5                             | 275                             | 27.50                         | 19.25                           |
| 10      | कानपुर देहात | 31.0                             | 310                             | 31.00                         | 21.70                           |
| 11      | फतेहपुर      | 29.5                             | 295                             | 29.50                         | 20.65                           |
| 12      | कौशाम्बी     | 11.5                             | 115                             | 11.50                         | 8.05                            |
| 13      | रायबरेली     | 26.5                             | 265                             | 26.50                         | 18.55                           |
| 14      | उन्नाव       | 23.5                             | 235                             | 23.50                         | 16.45                           |
| 15      | अमेठी        | 19.0                             | 190                             | 19.00                         | 13.30                           |
| 16      | सिद्धार्थनगर | 7.0                              | 70                              | 7.00                          | 4.90                            |
| 17      | देवरिया      | 15.5                             | 155                             | 15.50                         | 10.85                           |
| 18      | महराजगंज     | 19.5                             | 195                             | 19.50                         | 13.65                           |
|         | योग          | 372.5                            | 3725                            | 372.50                        | 260.75                          |

| नोट | सामग्री का नाम | प्रयोग दर प्रति इकाई (0.1 हे०)                            |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|
|     | जई चारा बीज    | 10 किग्रा०                                                |
|     | यूरिया         | 12.5 किग्रा० (आधी मात्रा बेसल ड्रेसिंग, आधी टॉप ड्रेसिंग) |
|     | डी०ए०पी०       | 07 किग्रा० बेसल ड्रेसिंग                                  |

निदेशक

प्रशासन एवं विकास

प्रारूप-1

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत रबी-2019 में रबी चारा उत्पादन मिनीकिट के निःशुल्क वितरण हेतु पशुपालन निदेशालय के पत्र सं०-.....दिनांक.....द्वारा जनपद.....को आवंटित धनराशि रु०.....के सापेक्ष रु०.....दिये गये दिशा-निर्देशानुसार उपयोग कर लिया गया है। योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रु०.....को इस कार्यालय के पत्र सं०.....दिनांक.....द्वारा समर्पित कर दिया गया है, तथा धनराशि जिस प्रयोजन के लिए आवंटित की गयी है, उसे उसी प्रयोजन में ही व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत जनपद में कुल.....लाभार्थियों को लाभान्वित तथा .....हे० क्षेत्रफल को आच्छादित किया गया है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी  
जनपद.....

5454-2

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोगिता "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत सन् 2019 में चयनित लाभार्थियों का विवरण

[illegible]

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी  
जनपद.....

## Impact Assessment (फीड बैक)

[illegible]

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी  
जनपद.....